

# डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना/ पटियाला

365

कार्यालय आदेश सं. 13/2021

दिनांक: 10.04.2021

रेलवे बोर्ड के पत्र सं PC-V/2009/ACP/2 Dt. 10.06.2009 (RBE No 101/2009) के प्रावधान अनुसार MACPS Screening Committee की रिकमेंडेशन एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समय पालन कार्यालय से संबंधित निम्नलिखित कर्मचारी को उसके नाम के आगे अंकित तिथि से MACP Scheme के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन हेतु उपयुक्त पाया गया है। तदनुसार यह वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया जाता है। यह वित्तीय अपग्रेडेशन कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत है।

क्र म सं	नाम श्री/श्रीमती	कर्म.स.	वर्तमान पदनाम पीबी/ जीपी		वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किये जाने की तिथि एवं पे ग्रेड	
			पदनाम	लेवल(7 <sup>th</sup> CPC)	पे ग्रेड	W.E.F.
I	अजीत सिंह Ajit Singh	51500104943	लेखा लिपिक एव टक्क	P.B.1, लेवल-3 (GP-2000)	P.B.1, लेवल-4 (G.P-2400)	22.01.2021, 2 <sup>ND</sup> MACP (Overall 3 <sup>RD</sup> Benefit)

प्राधिकार: संचिका स.लेखा/प्रशा/02/ए.सी.पी/भाग-II का पी.पी.-109 dt.09.04.2021.

नोट

1. यह कर्मचारी को स्पष्ट किया जाता है कि एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ अस्थायी है और उच्च श्रेणी में उनका स्थान न तो नियमित रूप से पदोन्नति देता है और वरिष्ठता के लाभ का अधिकार नहीं देता है। वह नियमित रूप से पदोन्नति के उद्देश्य के लिए मौजूदा ग्रेड में अपनी वरिष्ठता की गणना करेंगे।
2. एमएसीपी योजना के तहत उच्च वेतनमान की अनुदान इस तथ्य के लिए सशर्त होगा कि इस लाभ को स्वीकार करने वाले कर्मचारी को बाद में नियमित पदोन्नति के लिए नियमित रूप से पदोन्नति देने के लिए उसे अनिर्धारित स्वीकार्यता माना जाएगा। इस तरह की पदोन्नति के लिए उसे निर्धारित पदोन्नति की सामान्य प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। कर्मचारी को यह लाभ, वर्तमान में जो वह काम कर रही है के लिए दिया जाता है।

व.सहायक वित्त सलाहकार/प्रशासन  
डी. एम. डब्ल्यू/पटियाला

- वितरण : 1. वरिष्ठ सहा.वित्त.सला./स्था./डी.एम. डब्ल्यू/पटियाला 2. व. लेखा परीक्षा अधिकारी/ डी.एम.डब्ल्यू/पटियाला  
3. कर्मचारी की व्यक्तिगत मिस्त्र 4. क.आदेश रजिस्टर  
5. संबंधित कर्मचारी - इस आदेश के जारी होने के एक महीने के अंदर अंदर वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प इस कार्यालय को भेजें यदि इस समय अवधि में आप विकल्प नहीं देते तो आपका वेतन निर्धारण पदोन्नति के दिनांक से ही किया जाएगा एवं निम्न वर्ग में वेतन वृद्धि को दिनांक से ही किया जाएगा।

- प्रतिलिपि: 1. निजी सचिव/प्रमुख वित्तीय सलाहकार- प्रमुख वित्तीय सलाहकार की कृतज्ञ सूचनार्थ  
2. उप वि.स. एवं मु. लेखा अधिकारी-I & II/ डी.एम. डब्ल्यू/पटियाला  
3. वरि. आंकड़ा संसाधन प्रबंधक /डी.एम. डब्ल्यू/पटियाला  
4. उप मुख्य सतर्कता अधिकारी. /डी.एम.डब्ल्यू/पटियाला